न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 40/2023

1 जितेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपुत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद जगदम्बा कॉलोनी शरद अस्पताल के पास पिपराली चौराहा सीकर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 सग्राम सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद नीम जोड़ तन नवलड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

2 विरेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल जगदम्बा कॉलोनी शरद अस्पताल के पास पिपराली चौराहा सीकर तहसील व जिला सीकर।

3 महेन्द्र सिंह पुत्र कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद प्लाट नम्बर 3 अल्पना कॉलोनी कल्याण मार्ग खातीपुरा रोड़ झोटवाड़ा जयपुर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ आदेश उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ बमुकदमा उनवानी सग्राम सिंह बनाम जितेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 89/2021 दिनांक 03.09.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री रोहिताश कुल्हरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कंचन सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

–निर्णय–

दिनांकः– 12-4-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 89/2021 में पारित निर्णय दिनांक 03.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में संग्राम सिंह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम नवलड़ी राजस्व ग्राम बडवासी की भूमि खसरा नम्बर 126 व 768 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने आवेदन प्रस्तुत होने पर एकपक्षीय रूप से दिनांक 03.09.2021 को उक्त भूमि पर आगामी तिथि तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन जारी किया। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 1 जितेन्द्र सिंह की ओर से दिनांक 23.02.2023 को यह अपील प्रस्तुत की गई । अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट के नोटिस जारी की गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से कंचन सिंह अधिवक्ता ने मेमो ऑफ अपीयरेन्स प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट 1 व 3 तीन की ओर से कोई उपस्थिति नहीं है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण को सुने बिना एकपक्षीय अंतरिम स्थगन जारी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

किया गया। इसके उपरांत 9 तारीख पेशी दी जा चुकी है। इस स्थगन को 18 महीने का समय हो चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। अतः अपील स्वीकार कर स्थगन खारिज किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील स्वीकार करने में उन्हें आपत्ति नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थीगण को सुने बिना एकपक्षीय अंतरिम स्थगन जारी किया गया है। इसके उपरांत 9 तारीख पेशी दी जा चुकी है। इस स्थगन को 18 महीने का समय हो चुका है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन स्थगन आदेश आगामी तिथि तक जारी किया गया था। इसके उपरांत इसे बढ़ाया नहीं गया है। ऐसी स्थिति मे वर्तमान में यह स्थगन आदेश प्रभाव में भी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर आदेश 39 नियम 3 की पालना में आगामी 1 माह उनके समक्ष लम्बित आवेदन धारा 212 का अंतिम निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12-4-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर